लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/507 भोपाल, दिनांक 24/3/2026

//आदेश//

याचिकाकर्ता श्री स्वप्नील कुमार शुक्ला, निवासी कोलहा तह. सेमरिया जिला रीवा मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका WP/17/2025 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार हैं :–

Considering the fact that the petitioner has already submitted a representation on 25.10.2024 before Commissioner, Public Instruction, the present petition is disposed of with a direction to the respondent No.2 to consider and decide the representation submitted by the petitioner on 25.10.2024, in accordance with applicable rules, circulars and scheme, within a period of 45 days from the date of receipt of certified copy of this order, by passing a reasoned and speaking order and to communicate the outcome of the same to the petitioner.

2. उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन में सत्र 2023–24 में शासकीय उमावि. बडी हर्दी में वर्ग–1 लेखाशास्त्र विषय पर अध्यापन कार्य कराया गया था जिसका वार्षिक परीक्षा परिणाम 28 प्रतिशत रहा है, किन्तु पूरक परीक्षा सतत् परिणाम 45 प्रतिशत रहा है। अतः सत्र 2024–25 में पुनः अतिथि शिक्षक के रूप आमंत्रित किया जाए।

3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा का आदेश क्रमांक/विधि/अतिथि शिक्षक/2025/389 रीवा दिनांक 01.03.2025 में दिए गए तथ्यों एवं प्रचलित नियम/निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं :–

3.1 शैक्षणिक सत्र 2023–24 में याचिकाकर्ता श्री स्वप्नील कुमार शुक्ला द्वारा शासकीय उमावि. बडी हर्दी में वर्ग–1 लेखाशास्त्र विषय पर अध्यापन कार्य कराया गया था जिसका (कक्षा 12वीं) वार्षिक परीक्षा परिणाम 22.7 प्रतिशत रहा है। आवेदक की मांग है, कि पूरक परीक्षा का परिणाम भी मान्य किया जाए उचित नहीं है। परीक्षा परिणाम मुख्य परीक्षा के आधार पर मान्य किया जाता है।

3.2 संचालनालय का पत्र क्र/रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/2013 दिनांक 04.07.2019 की कण्डिका 3.1.2 अनुसार " अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30 प्रतिशत से कम परिणाम वाले आवेदक को नहीं लिया जाए।"

3.3 याचिकाकर्ता को निर्देश दिनांक 04.07.2019 के अनुक्रम में सत्र 2024–25 में शासकीय उमावि. बडी हर्दी में वर्ग–1 लेखाशास्त्र विषय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित करने का प्रावधान नहीं होने से छात्रहित में संबंधित को आमंत्रित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन में की गई मांग नियमानुसार न होने से मांग अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता हैं।

(शिल्पा गुप्ता) 23/3
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/508 भोपाल, दिनांक 24/3/2026

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ट इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, विधि कक्ष स्थानीय, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. श्री स्वप्नील कुमार शुक्ला, निवासी कोलहा तह. सेमरिया जिला रीवा मध्यप्रदेश।

23/3
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Ajay K GT